संख्या- 1/2016/जी-1-119 /दस-2016-226/2008

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 12 अगस्त, 2016

विषयः **मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्रावधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ता की दरो में संशोधन शासनादेश संख्या-जी-1-953/दस-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा किया गया था।

2. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासकीय पत्र संख्या-41/2016/वे0आ0-2-813/दस-08(मु0स0स0)/ 2011टी0सी0, दिनांक 12 अगस्त, 2016 द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार वर्तमान में अनुमन्य मकान किराया भत्ता की दरों में 20 प्रतिशत वृद्धि करते हुए (अगले दस रूपये में पूर्णांकित करते हुए) दिनांक 01 अगस्त, 2016 से मकान किराया भत्ता की दरों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

क्र0 सं0	ग्रेड वेतन/ वेतनमान	श्रेणी-ए, बी-1 तथा बी-2 के नगरों में		श्रेणी-सी के नगरों में		अवर्गीकृत श्रेणी के क्षेत्र	
		वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर	वर्तमान दर	संशोधित दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1300	900	1080	450	540	300	360
2	1400	930	1120	465	560	310	380
3	1650	980	1180	490	590	325	390
4	1800	1100	1320	550	660	365	440
5	1900	1160	1400	580	700	385	470
6	2000	1200	1440	600	720	400	480
7	2400	1470	1770	735	890	490	590
8	2800	1670	2010	830	1000	555	670
9	4200	2020	2430	1010	1220	670	810
10	4600	2760	3320	1380	1660	920	1110

http://shasanadesh.up.nic.in

11	**4800**	**2810**	**3380**	**1405**	**1690**	**935**	**1130**
12	**5400**	**3150**	**3780**	**1575**	**1890**	**1050**	**1260**
13	**6600**	**3780**	**4540**	**1890**	**2270**	**1260**	**1520**
14	**7600**	**4480**	**5380**	**2240**	**2690**	**1490**	**1790**
15	**8700**	**6910**	**8300**	**3455**	**4150**	**2300**	**2760**
16	**8900**	**7280**	**8740**	**3640**	**4370**	**2430**	**2920**
17	**10000**	**8200**	**9840**	**4100**	**4920**	**2730**	**3280**
18	**वेतनमान 67000-79000**	**9200**	**11040**	**4600**	**5520**	**3000**	**3600**
19	**वेतनमान 80000 नियत**	**10500**	**12600**	**5250**	**6300**	**3500**	**4200**

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य में गठित वेतन समिति द्वारा मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु संस्तुतियॉ प्रदान करते समय इस वृद्धि को संज्ञान में लिया जायेगा।

4. मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/2016 /जी-1- 119(1)/ दस-2016-226/2008, तददिनांक

प्रतिपिलि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1, 2 एवं 3, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रावधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
(4) प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद् सचिवालय।
(5) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(7) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
(8) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shsanadesh.up.nic.in